(ग) और (घ) मार्च, 1990 एवं मार्च, 1993 की अवधि के बीच केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में लगी हुई पूंजी के प्रतिशत के रूप में उनकी सकल लाभकारिता में कोई कमी नहीं आई है।

35

- (ङ) प्रसंगाधीन अवधि में घाटा उठाने वाले 104 उद्यमों में से 77 उद्यमों में पूंजी निवेश में वृद्धि हुई है। इनमे से 28 उद्यमों ने वर्ष 1989-90 की तुलना में अपने घाटे में कमी की है। शेष 49 उद्यमों में उसी अवधि के दौरान घाटे में वृद्धि हुई है।
- (च) सरकारी उद्यमों में कार्य-निष्पादन में सुधार करने हेतु किए गए कुछेक उपायों का उल्लेख 23 फरवरी, 1994 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1992-93 (खण्ड-1) की पृष्ठ संख्या । एवं 150 पर किया गया है। नवीकरण / पुनर्स्थापना योजनाओं के निर्माण हेतु औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल 45 रुग्ण उद्यमों को पंजीकृत कर चुका है।

रूस के साथ क्रायोजेनिक इंजन सौदा

*51. श्री राम गोपाल यादव: श्री सुरेश पचौरी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारत ने रूस के साथ क्रायोजेनिक इंजन सौदे के सिलसिले में एक और समझौता किया है; और
- (ख) यदि हां, तो उक्त समझौते का ब्यौरा क्या है तथा इस सौदे से भारत को क्या प्राप्ति होने की संभावना है और कब तक?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाण् उर्जा तथा अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भूवनेज्ञ चतुर्वेदी): (क) और (स्त्र) भू-राजनैतिक विकासों के घटनाक्रम के परिणामस्वरूप रूस की ग्लेवकास्मॉस ने 1991 के मूल करार की अनिवार्य बाध्यता धारा का अक्तूबर 1993 में प्रयोग किया। इसके परिणामस्वरूप उसी समय से टेक्नालॉजी का स्थानान्तरण और प्रशिक्षण कार्य रूक गया। तदनन्तर इसरो और ग्लेवकास्मास के बीच दिसम्बर 1993 के दौरान विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। इस संबंध में करार पर अभी अंतिम निर्णय लिया जाना है।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेश्वन की इल्दिया इकाई में लाभदायक बेरोजगारी

*52. श्री राम जेडमलानी: श्री जी. वाई. कृष्णन:

क्या रसायन एवं उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का ध्यान 20 जनवरी, 1994 के ''दि हिन्दुस्तान यइम्स'' में ''ग़ेनफुली अनएम्पलॉयड फॉर 15 इयर्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है:
- (ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के हल्दिया संयंत्र में लगभग 1600 कर्मचारी बिना कोई कार्य किए हुए अपने मासिक वेतन के रूप में लगभग 18 करोड़ रुपए प्राप्त कर रहे हैं;
- (ग) क्या यह भी सच है कि हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन को अब तक लगभग 240 करोड़ रूपए का घाटा हो चुका है; और
 - (घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या है?

रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव): (क) जी, हां।

(ख) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेश्वन लि. (एच एफ सी) की हल्दिया परियोजना को आरम्भण अवधि के दौरान बारंबार उपस्कर खराबियों के कारण चालू नहीं किया जा सका। आरम्भण क्रियाक्लापों को अक्तूबर, 1986 में रोक दिया गया था क्योंकि यह निश्चित नहीं था कि परियोजना का सुचारू रूप से आरम्भण तथा व्यवहार्य प्रचालन किया जा सकेगा। तत्पश्चात हल्दिया परियोजना के पुनर्वास/पुनरुद्धार के प्रयास के विभिन्न विकल्पों पर विचार किया गया किन्तु एक भी विकल्प व्यवहार्य नहीं पाया गया क्योंकि उत्पादन लागत बहुत अधिक आ रही थी। इसी बीच एच एफ सी को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी आई एफ आर) द्वारा रूग्ण कम्पनी घोषित किया गया है। एच एफ सी के पुनर्वास, जिसमें इसकी हल्दिया परियोजना भी शामिल है, के संबंध में कोई कार्यवाही बी आई एफ आर, जो एक न्यायिक कल्प है, के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के परिणाम पर निर्भर करेगा। इस समय, लगभग 1555 कर्मचारी इस परियोजना से सम्बद्ध हैं। कर्मचारियों के वेतन, भविष्य निधि और ग्रेच्यूटी पर प्रतिमाह 72.63 लाख रुपये की राशि व्यय की जा रही है।

37

(ग) और (घ) 31.3.1993 की स्थिति के अनुसार एच एफ सी की संचित हानि 1861.12 करोड़ रुपये थी।

Retirement Benefits of the Employees of NAI and IAAI

*53 DR. SANJAYA SINH: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

- (a) whether Government have decided to offer lucrative retirement benefits to the employees of National Airports Authority and the International Airports Authority of India in the form of Golden Handshake as available to the employees of Public Sector Undertakings; and
- (b) if so, the details thereof and if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) and (b) There is no proposal of introducing voluntary retirement scheme in National Airports Authority and International Airports Authority of India.

Amendment of Indian Boilers Act

- *54. SHRI BALBIR SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:
- (a) whether it is a fact that a Bill for major amendments in the existing Indian Boilers Act are proposed to be introduced in the current Session to give more powers to the Central Government; and
- (b) if so, how will it improve the safety measures and whether the proposed amendments for diverting most of the functions of the State Governments to the Central Government will tantamount to usurping the power of the State Governments?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPTT. OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPTT. OF HEAVY INDUSTRY) (SMT. KRISHNA SAHI): (a) No, Sir. The proposed bill does not intend to give more powers to the Central Government.

(b) Does not arise.

Combating the Corruption

to Questions

*55. SHRI G.G. SWELL: SHRI CHIMANBHAI MEHTA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to answer to Unstarred Question 2059 given in the Rajya Sabha on the 16th December, 1993 and state:

- (a) what are the legislative measures taken during the last several years to combat corruption at various levels;
- (b) how and in what manner the institution of Lok-Pal was going to be set up;
- (c) whether it is a fact that the Lok Pal Bill, 1989 was withdrawn; if so, why; and
- (d) how and to what extent present anticorruption laws are effective and have brought about results?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SMT. MARGARET ALVA): (a The Prevention of Corruption Act, 1947 was enacted to make effective provisions for the prevention of bribery and corruption. This act was comprehensively amended in 1988 to make it even more effective. Similarly the Code of Criminal Procedure, 1973 and the Commissions of Inquiry Act, 1952 were amended in 1990.

- (b) The Lokpal Bill, 1989 was introduced in the Lok Sabha on 29th December, 1989. It was proposed that the jurisdiction of Lokpal should cover complaints of corruption, within the meaning of the Prevention of Corruption Act, 1988, against the Union Council of Ministers including the Prime Minister.
- (c) The Lokpal Bill, 1989 was not withdrawn; this Bill lapsed on the dissolution of the 9th Lok Sabha on 13th March, 1991.
- (d) The campaign against corruption is a continuing effort. The agencies like CBI are activated to pursue cases vigorously and the concerned laws are reviewed and amended whenever necessary to achieve the desired results.